न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 749–तीन/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2001 –पारित व्दारा –अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण क्रमांक 134/2000–01 निगरानी

1– लायकराम चौधरी
3– नारायण चौधरी
4– बलवीर सिंह शर्मा
पुत्रगण स्व. शिवदयाल चौधरी
ग्राम विलाव हाल चतुर्वेदीनगर भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– कृष्ण अवतार शर्मा 2– रामप्रताप चौधरी
पुत्रगण रामगोपाल चौधरी निवासीगण
बार्ड–22,संतोषी माता के मंदिर के पास भिंड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित –एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 113/02–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर तहसीलदार भिण्ड के न्यायालय मे प्रकरण क्रमांक 16/99-2000 अ-6 ग्राम विलाव स्थित खाता क्रमांक 553, 1201, सर्वे क्रमांक 1303, 1293, 1886/1 के नामान्तरण करने हेतु कायम हुआ । इसी प्रकरण में आवेदकगण की ओर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 का आवेदन दिया गया जो अपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 4-10-2000 से निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी क्रमांक 10/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 23-4-2001 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 113/02-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-10-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदकगण खाताधारी मृतक रामसिंह चौधरी के खास भाई हैं। अपर तहसीलदार ने अनावेदकगण को अनेक अवसर देने पर साक्ष्य प्रस्तुत न करने से साक्ष्य का अवसर समाप्त किया और वाद में उनके आवेदन पर साक्ष्य का अवसर देने में त्रृटि की है। आवेदकगण को कृष्णअवतार के कथन पर जिरह करने रोक दिया एंव एकाएक कथन समाप्त करके आवेदकगण की साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर देने का त्रृटिपूर्ण निर्णय लिया है और जब इन्हीं खामियों की ओर कलेक्टर भिण्ड एंव अपर आयुक्त के समक्ष ध्यान आकर्षित कराया, तब उन्होंने भी प्रकरण की वास्तविक स्थिति न जानकर निगरानी निरस्त करने में भूल की है उन्होंने निगरानी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि कृष्ण अवतार शर्मा के कथनों पर श्रीनारायण शर्मा व्दारा प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण को कृष्ण अवतार शर्मा के कथनों पर जिरह करने का मौका नहीं दिया। अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 4-10-2000 के अवलोकन से स्थिति यह है कि उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि आवेदकगण को अनावश्क प्रश्न करने पर समझायश दी गई परन्तु वह नहीं माने हैं तथा अन्य आवेदन देकर प्रकरण में कार्यवाही रोकने का आग्रह किया गया है यह आवेदन भी अपर तहसीलदार ने निरस्त किया है। आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रक्रिया से हटकर न्यायालयीन कार्यवाही पर अनावश्यक आक्षेप लगाये एंव न्यायालयीन कार्यवाही रोकने हेतु अनावश्यक दवाव बनाने का प्रयास किया गया है और इन्हीं तथ्यों के कारण कलेक्टर, भिण्ड ने निगरानी कमांक 10/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 23-4-2001 से निगरानी निरस्त की है एंव अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना ने भी निगरानी प्रकरण कमांक 113/02-03 पारित आदेश दिनांक 31-10-2003 से निगरानी निरस्त की है। फलस्वरूप तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समरूप होना पाये जाने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 113/02-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-10-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर